रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 13, 2004/आश्विन 21, 1926

No. 446] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2004/ASVINA 21, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2004

सं. 106/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 669(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 5503 20 00 के अंतर्गत आने वाले कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताईवान तथा थाईलैंड में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये गए पालिस्टर स्टेपल फाइबर के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 21/1/2001-डीजीएडी, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में इस निर्णय पर पहुंचे कि—

(क) संबद्ध देशों में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये गए विषयगत माल सभी रूपों में, का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई है;

(ग) संबद्ध देशों में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये गए विषयगत माल के पाटन के कारण तात्विक क्षति हुई है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा.का.नि. 231(अ), तारीख 21 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2003-सीमाशुल्क, तारीख 21 मार्च, 2003 द्वारा पालिस्टर स्टेपल फाइबर पर, प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने मै. इंडियन स्पीनर्स एसोशिएशन बनाम अभिहित प्राधिकारी के संबंध में अपील सं. सी/एस/922-23, सी/एस/1391/03-एडी एंड सं. सी/एम/344/03-एडी, सी/256-57 एंड सी/300/03-एडी आदेश तारीख 30 जून, 2004 में यह निर्णय दिया है कि तात्विक क्षति संबंधित अभिहित प्राधिकारी का उपरोक्त निष्कर्ष न्यायपूर्ण नहीं है।

और अभिहित प्राधिकारी ने उपरोक्त न्यायाधिकरण के 30 जून, 2004 के निर्णय को मान लिया है तथा उसके आधार पर शुद्धि पत्र सं. 22/1/2001-डीजीएडी तारीख 13 अगस्त, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, उपखंड (i), तारीख 19 अगस्त, 2004 में प्रकाशित किया जिसमें प्रतिपाटन शुल्क हटाने की अनुशंसा की गई है,

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 231(अ), तारीख 21 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 21 मार्च, 2003 में प्रकाशित भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2003-सीमाशुल्क, तारीख 21 मार्च, 2003 का विखंडन करती है।

[फा. सं. 354/13/2002-टीआरयू (भाग 1)]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2004

No. 106/2004-Customs

G.S.R. 669(E).—Whereas in the matter of import of certain Polyester Staple Fibres (hereinafter referred to as 'the subject goods'), falling under tariff item 5503 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, People's Republic of Korea, Malaysia, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as 'the subject countries'), the designated authority *vide* its final findings notification No.22/1/2001-DGAD dated the 24th December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th December, 2002, had come to the conclusion that—

(a) the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries have been exported to India below normal value, resulting in dumping;

(b) the Indian industry has suffered material injury and threat thereof;

(c) injury has been caused by imports from the subject countries;

And whereas on the basis of aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed final anti-dumping duty vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue) No. 45/2003-Customs, dated the 21st March, 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st March, 2003 [G.S.R. 231(E), dated the 21st March, 2003];

And whereas the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal, (hereinafter referred to as the Tribunal), in its order dated the 30th June, 2004 in the Appeals No. C/S/922-23, C/S/1391/03-AD & No. C/M/344/03/-AD, C/256-57 & C/321 & C/300/03-AD in the matter of M/s Indian Spinners Association and Others vs. The Designated Authority, has held that the aforesaid findings of the designated authority regarding material injury and threat of injury are not sustainable;

And whereas, the designated authority has accepted the aforesaid order of the Tribunal dated the 30th June 2004, and issued a Corrigendum vide No. 22/1/2001-DGAD dated 13th August, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated the 19th August, 2004, recommending withdrawal of the anti-dumping duty imposed above;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Indentification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 45/2003-Customs, dated the 21st March 2003, [G.S.R. 231(E), dated the 21st March, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st March, 2003.

[F. No. 354/13/2002-TRU (Pt. 1)]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.